



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 9 जुलाई, 2007

आषाढ़ 18, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1136/79-वि-1-07-1(क)-18-2007

लखनऊ, 9 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 7 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 का निरसन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
11 सन् 2004 का  
निरसन  
आस्तियों और  
दायित्वों का  
अन्तरण

2-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 एतद्द्वारा  
निरसित किया जाता है।

3-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में किसी प्रतिकूल बात के  
होते हुये भी धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के दिनांक को और उसी दिनांक से -

(क) किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय के चारों ओर की भूमि और प्रादेशिक हाईजीन संस्थान का भवन और जो चिकित्सा संकाय का भाग है तथा किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (जिसे आगे पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय कहा गया है) से सम्बन्धित समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां, जिनके अन्तर्गत भूमि, भवन, छात्रावास, फर्नीचर, फिटिंग, फिक्सचर्स, संयंत्र, मशीन, उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और वाहन भी हैं, पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है, को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी ;

(ख) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां, चाहे उन्हें राज्य सरकार के अनुदान से या अन्य प्रकार से अर्जित या सृजित किया गया हो, जिसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा धृत या उसके लेखे में कोई नकद धनराशि भी है, चाहे वह किसी बैंक में या अन्य प्रकार से जमा हो, पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी ;

(ग) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार, ऋण, कर्तव्य, दायित्व और आभार, जो पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के सम्बन्ध में संविदात्मक या अन्य प्रकार से उत्पन्न या प्रोद्भूत या उपगत हों, विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे ;

(घ) किसी ऐसे इच्छा-पत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज में, चाहे उसे धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के दिनांक के पूर्व तैयार या निष्पादित किया गया हो, जिसमें दन्त विज्ञान संकाय के प्रयोजन के लिये पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, दान, विन्यास या न्यास अन्तर्विष्ट हो, समस्त निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा मानों पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम लिखा गया हो ;

(ङ) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का दन्त विज्ञान संकाय हो जायेगा;

(च) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का कोई छात्र, जो निरसन के दिनांक के ठीक पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा था, नये विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में अपना अध्ययन जारी रखेगा और उसकी तैयारी में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अनुज्ञात होगा और नये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश पा सकेगा ;

(छ) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी, जो पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से नियुक्त हो और निरसन के दिनांक के ठीक पूर्व उसमें सेवारत हो, विश्वविद्यालय का अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायेगा;

(ज) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित और निरसन के दिनांक को लम्बित सभी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी, अभियोजित या प्रवृत्त हो जायेंगी।

4-धारा 2 के अधीन निरसन के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानों निरसन अधिनियम का अधिनियमन नहीं हुआ हो।

व्यावृत्ति

5-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश संख्या  
2 सन् 2007 का  
निरसन

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2004) द्वारा उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य में उसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक उत्कृष्ट दन्त विज्ञान संस्था के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे कि दन्त रोगों से पीड़ित रोगियों के समुचित उपचार की व्यवस्था की जा सके। उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति दन्त विज्ञान संकाय को चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक संकाय के रूप में ही बनाये रखकर की जा सकती है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय और विश्वविद्यालय को, उसकी आस्तियों एवं दायित्वों और उसके कर्मचारियों आदि सहित, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को उसके दन्त विज्ञान संकाय के रूप में अन्तर्गत कर दिया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
वीरेन्द्र सिंह,  
प्रमुख सचिव।

No. 1136/LXXIX-V-1-07-1(Ka)18/2007

Dated Lucknow, July 9, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh King George Dant Vigyan Vishwavidyalaya (Nirsan) Adhinyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 7 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 7, 2007.

### THE UTTAR PRADESH KING GEORGE'S UNIVERSITY OF DENTAL SCIENCE (REPEAL) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 7 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh King George's University of Dental Sciences  
Act, 2004.

	IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement	1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh King George's University of Dental Science (Repeal) Act, 2007. (2) It shall be deemed to have come into force on June 2, 2007.
Repeal of U.P. Act no. 11 of 2004	2. The Uttar Pradesh King George's University of Dental Science Act, 2004 is hereby repealed.
Transfer of assets and liabilities	3. Notwithstanding anything to the contrary contained in the King George's Medical University Act, 2002 and on and from the date of repeal of the Act referred to in section 2,- (a) the land around the King George's University of Dental Science and building of provincial Hygiene Institute which is part of Medical Faculty and all properties and assets, including land, buildings, hostels, furnitures fittings, fixtures, plants, machines, appliances, libraries, laboratory and vehicles belonging to the King George's University of Dental Science (hereinafter referred to the erstwhile University) shall stand transferred from the erstwhile University to and vest in the King George's Medical University (hereinafter referred to as the University); (b) all properties and assets pertaining to the erstwhile University whether acquired or created out of grants from the State Government or otherwise, including any cash balances held by the erstwhile University or on its accounts, whether as deposit in bank or otherwise, shall stand transferred from erstwhile University to and vest in the University; (c) all rights, powers and privileges, debts, duties, liabilities and obligation of the erstwhile University, contractual or otherwise arising or accrued or incurred in relation to the affairs of the erstwhile University shall stand transferred to the University; (d) all references in any will deed or other document whether made or executed before the date of repeal of the Act referred to in section 2, which contains any bequest, gift, endowment or trust in favour of the erstwhile University for the purposes of the Faculty of Dental Sciences shall be construed as if the University was named therein instead of the erstwhile University ; (e) the erstwhile University shall become the Faculty of Dental Science of the University; (f) any student of the erstwhile University who was studying immediately before the date of repeal for any examination of the erstwhile University shall continue his studies as a student of the University and shall be permitted to complete his courses in preparation therefore, and shall be admitted to the examination of the University; (g) every teacher or other employee of the erstwhile University duly appointed in connection with the affairs of the erstwhile University and serving therein immediately before the date of repeal shall, become a teacher or other employee of the University ; (h) all suits, appeals or other legal proceedings instituted by or against the erstwhile University and pending on the date of repeal, may be continued, prosecuted or enforced by or against the University.

4. Notwithstanding the repeal under section 2 anything done or any action taken under the Uttar Pradesh King George's University of Dental Science Act, 2004 shall be deemed to have been done or taken under the King George's Medical University Act, 2002 as if the repealed Act has not been enacted. Saving

5. The Uttar Pradesh King George's University of Dental Science (Repeal) Ordinance, 2007 is hereby repealed. Repeal of U.P. Ordinance no. 2 of 2007

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh King George's University of Dental Science was established by the Uttar Pradesh King George's University of Dental Science Act, 2004 (U.P. Act no. 11 of 2004) with the objective of developing it is an excellent institute of Dental Science in the State equipped with modern instrument so as to provide proper treatment to the patients suffering from Dental diseases. After the establishment of the said University it was felt that the objectives for which the said University has been established were not being fulfilled. Such objectives may be fulfilled by making the Faculty of Dental Science remained as a faculty of the Medical University. It was, therefore, decided to repeal the said Act and transfer the University with its asset and liabilities including employees etc. to the King George's Medical University as the faculty of Dental Science thereof.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh King George's University of Dental Science (Repeal) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 2 of 2007) was promulgated by the Governor on June 2, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance .

By order,  
VIRENDRA SINGH,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 269 राजपत्र-2007-(703)-597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 148 सा० विधायी-2007-(704)-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।